भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2229**

दिनांक 12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए

**विधवाओं और अनाथों के कल्याण और पुनर्वास हेतु योजनाएं**

**2229. श्री आयनुर मंजूनाथाः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विधवाओं और अनाथों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो यह सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है;

(ख) देश में वर्तमान में कार्यरत अनाथालयों और विधवा आश्रय गृहों की संख्या सहित इनमें रहने वालों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(ग) विध्वाओं और अनाथों तथा वयस्क होने वाले व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : भारत के महापंजीयक दशकीय जनसंख्‍या जनगणना का आयोजन करते हैं जिसमें जनगणना के समय पर देश में रहने वाले सभी व्‍यक्‍तियों के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं । जनगणना, 2011 के अनुसार भारत/राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में विधवाओं की कुल आबादी को दर्शाने वाला विवरण जो भारत के महापंजीयक द्वारा उपलब्‍ध कराया गया है, **अनुलग्‍नक-।** में दिया गया है । जनगणना में अनाथों के बारे में आंकड़े अलग से संकलित/संग्रहीत नहीं किए जाते हैं ।

(ख) : स्‍वाधार गृहों तथा अल्‍पावास गृहों में लाभार्थियों की संख्‍या दर्शाते हुए स्‍वाधार आश्रय गृहों तथा अल्‍पावास गृहों का राज्‍य-वार ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।।** में दिया गया है । मंत्रालय द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम के तहत राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों में इस समय क्रियाशील बाल गृहों तथा विशिष्‍ट दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों की संख्‍या दर्शाने वाला ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।।।** में दिया गया है ।

(ग) : कठिन परिस्‍थितियों में रहने वाली महिलाओं के लाभार्थ वर्ष 2001-02 के दौरान मंत्रालय द्वारा स्‍वाधार स्‍कीम शुरू की गई । एक अन्‍य स्‍कीम अर्थात अल्‍पावास गृह जो स्‍वाधार स्‍कीम जैसी स्‍कीम है, 1969 से केंद्रीय समाज कल्‍याण बोर्ड के माध्‍यम से कार्यान्‍वित की जा रही है । अब 01 जनवरी, 2016 से स्‍वाधार तथा अल्‍पावास गृह स्‍कीम का विलय एवं संशोधन स्‍वाधार गृह के रूप में किया गया है । स्‍वाधार गृह स्‍कीम दुर्भाग्‍यपूर्ण परिस्‍थितियों की शिकार महिलाओं पर केंद्रित है जिनको पुनर्वास के लिए संस्‍थानिक सहायता की जरूरत है ताकि वे गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें । स्‍कीम के तहत कठिन परिस्‍थितियों की शिकार महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, कपड़ा तथा स्‍वास्‍थ्‍य और सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्‍पना है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में अनाथ बच्‍चों सहित कठिन परिस्‍थितियों में रहने वाले बच्‍चों के पुनर्वास तथा पुन:एकीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) कार्यान्‍वित कर रहा है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक-I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **भारत में विधवाओं की कुल आबादी : जनगणना- 2011** | | | | |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **विधवाओं की कुल आबादी** | | |
|  |  | **कुल** | **पुरुष** | **महिला** |
|  | **भारत** | **55538707** | **12277229** | **43261478** |
| 1 | जम्‍मू और कश्‍मीर | 403425 | 119775 | 283650 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | 366748 | 73273 | 293475 |
| 3 | पंजाब | 1304863 | 376705 | 928158 |
| 4 | चंडीगढ़ | 31857 | 7361 | 24496 |
| 5 | उत्‍तराखंड | 489495 | 102280 | 387215 |
| 6 | हरियाणा | 1049146 | 275849 | 773297 |
| 7 | राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली | 601995 | 145382 | 456613 |
| 8 | राजस्‍थान | 2628454 | 644820 | 1983634 |
| 9 | उत्‍तर प्रदेश | 7539857 | 2683669 | 4856188 |
| 10 | बिहार | 3297891 | 1059098 | 2238793 |
| 11 | सिक्‍किम | 20327 | 6610 | 13717 |
| 12 | अरुणाचल प्रदेश | 41619 | 9832 | 31787 |
| 13 | नागालैंड | 50404 | 10908 | 39496 |
| 14 | मणिपुर | 97460 | 19470 | 77990 |
| 15 | मिजोरम | 36719 | 8150 | 28569 |
| 16 | त्रिपुरा | 194023 | 29054 | 164969 |
| 17 | मेघालय | 101448 | 16623 | 84825 |
| 18 | असम | 1409905 | 253863 | 1156042 |
| 19 | पश्‍चिम बंगाल | 4459606 | 667422 | 3792184 |
| 20 | झारखंड | 1356912 | 329034 | 1027878 |
| 21 | ओडिशा | 2068214 | 455587 | 1612627 |
| 22 | छत्‍तीसगढ़ | 1261803 | 288016 | 973787 |
| 23 | मध्‍य प्रदेश | 2987056 | 826447 | 2160609 |
| 24 | गुजरात | 2653419 | 637677 | 2015742 |
| 25 | दमन व दीव | 7774 | 958 | 6816 |
| 26 | दादर और नगर हवेली | 8884 | 1506 | 7378 |
| 27 | महाराष्‍ट्र | 5514199 | 993435 | 4520764 |
| 28 | आंध्र प्रदेश | 5066315 | 768834 | 4297481 |
| 29 | कर्नाटक | 3452273 | 462844 | 2989429 |
| 30 | गोआ | 89070 | 11135 | 77935 |
| 31 | लक्षद्वीप | 2837 | 389 | 2448 |
| 32 | केरल | 2228226 | 217242 | 2010984 |
| 33 | तमिलनाडु | 4617383 | 760985 | 3856398 |
| 34 | पुद्दुचेरी | 83539 | 9960 | 73579 |
| 35 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 15561 | 3036 | 12525 |
|  | \*\*\*\*\*\*\* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**अनुलग्‍नक – II**

**स्‍वाधार स्‍कीम तथा अल्‍पावास गृह कार्यक्रम के तहत वर्ष 2015-16 के लिए क्रियाशील गृहों तथा अंत:वासियों का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार विवरण (31.03.2016 तक की स्‍थिति के अनुसार)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.  सं. | राज्‍य का नाम | स्‍वाधार गृह | | अल्‍पावास गृह | |
| गृहों की संख्‍या | लाभार्थियों की संख्‍या | गृहों की संख्‍या | लाभार्थियों की संख्‍या |
|  | आंध्र प्रदेश | 10 | 500 | 15 | 1440 |
|  | असम | 12 | 600 | 12 | 1152 |
|  | अंडमान और निकोबार | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | बिहार | 3 | 150 | 13 | 1248 |
|  | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | छत्‍तीसगढ़ | 1 | 30 | 3 | 288 |
|  | दादर और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | दादर और नगर हवेली | 0 | 0 | 2 | 192 |
|  | गुजरात | 4 | 210 | 3 | 288 |
|  | गोआ | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | हरियाणा | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | झारखंड | 2 | 100 | 1 | 96 |
|  | जम्‍मू और कश्‍मीर | 3 | 100 | 1 | 96 |
|  | कर्नाटक | 32 | 1520 | 28 | 2688 |
|  | केरल | 3 | 150 | 5 | 480 |
|  | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | मध्‍य प्रदेश | 12 | 525 | 16 | 1536 |
|  | महाराष्‍ट्र | 45 | 2000 | 32 | 3072 |
|  | मणिपुर | 18 | 850 | 5 | 480 |
|  | मिजोरम | 1 | 50 | 1 | 96 |
|  | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | नागालैंड | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | ओडिशा | 44 | 2150 | 32 | 3072 |
|  | पंजाब | 0 | 0 | 2 | 192 |
|  | पुद्दुचेरी | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | राजस्‍थान | 12 | 550 | 3 | 288 |
|  | सिक्‍किम | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | तमिलनाडु | 14 | 800 | 32 | 3072 |
|  | तेलंगाना | 10 | 435 | 15 | 1440 |
|  | त्रिपुरा | 0 | 0 | 4 | 384 |
|  | उत्‍तर प्रदेश | 42 | 2745 | 34 | 3264 |
|  | उत्‍तराखंड | 4 | 250 | 6 | 576 |
|  | पश्‍चिम बंगाल | 17 | 663 | 30 | 2880 |
|  | कुल | **289** | **14378** | **302** | **28992** |

**\*\*\*\*\***

**अनुलग्‍नक-III**

**आईसीपीएस के तहत वित्‍त पोषित देश, राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में वर्तमान में क्रियाशील बाल गृहों तथा विशिष्‍ट दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों की संख्‍या दर्शाने वाला विवरण**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य** | **बाल गृह (सरकारी एवं एनजीओ)** | **लाभार्थी** | **विशिष्‍ट दत्‍तक ग्रहण एजेंसियां (एसएए)** | **लाभार्थी** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 55 | 3957 | 14 | 170 |
| 2 | असम | 24 | 705 | 8 | 39 |
| 3 | अंडमान व निकोबार | 6 | 342 | - | - |
| 4 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 24 | 1 | 9 |
| 5 | बिहार | 21 | 715 | 10 | 119 |
| 6 | चंडीगढ़ | 8 | 417 | - | - |
| 7 | छत्‍तीसगढ़ | 35 | 1233 | 9 | 48 |
| 8 | दादर और नगर हवेली | - | - | - | - |
| 9 | दिल्‍ली | 22 | 1203 | 4 | 77 |
| 10 | गुजरात | 48 | 1864 | 9 | 67 |
| 11 | गोआ | 2 | 0 | 2 | 46 |
| 12 | हरियाणा | 21 | 1152 | 7 | 8 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 25 | 946 | 1 | 10 |
| 14 | झारखंड | 4 | 155 | 4 | 55 |
| 15 | जम्‍मू और कश्‍मीर | - | - | - | - |
| 16 | कर्नाटक | 65 | 2744 | 23 | 243 |
| 17 | केरल | 12 | 666 | 14 | 253 |
| 18 | लक्षद्वीप | - | - | - | - |
| 19 | मध्‍य प्रदेश | 32 | 1239 | 20 | 148 |
| 20 | महाराष्‍ट्र | 69 | 3634 | 14 | 140 |
| 21 | मणिपुर | 23 | 755 | 7 | 70 |
| 22 | मिजोरम | 35 | 1413 | 4 | 31 |
| 23 | मेघालय | 18 | 634 | 1 | 8 |
| 24 | नागालैंड | 16 | 674 | 4 | 24 |
| 25 | ओडिशा | 90 | 685 | 14 | 212 |
| 26 | पंजाब | 11 | 235 | 5 | 146 |
| 27 | पुद्दुचेरी | 22 | 1003 | 2 | 24 |
| 28 | राजस्‍थान | 72 | 1565 | 36 | 212 |
| 29 | सिक्‍किम | 10 | 403 | 2 | 13 |
| 30 | तमिलनाडु | 221 | 16466 | 15 | 233 |
| 31 | तेलंगाना | 44 | 2560 | 11 | 312 |
| 32 | त्रिपुरा | 12 | 434 | 9 | 43 |
| 33 | उत्‍तर प्रदेश | 43 | 1092 | 10 | 100 |
| 34 | उत्‍तराखंड | 6 | 186 | 2 | 25 |
| 35 | पश्‍चिम बंगाल | 36 | 2524 | 24 | 283 |
| 36 | दमन व दीव | - | - | - | - |
|  | कुल | **1109** | **51625** | **286** | **3168** |

\*\*\*\*\*